संख्या– 411 / 11–6–2010–एम(92) / 2009

प्रेषक,

अमर सेन सिंह,
अनु सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

निदेशक / संयुक्त निदेशक,
राजकीय मुद्रणालय,
ऐशबाग, लखनऊ।

कर एवं निबन्धन अनुभाग–6 लखनऊ: दिनांक: 31 मार्च, 2011

विषयः आमोद के वर्ग वीडियो गेम पर आमोद कर की दर में संशोधन के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अधिसूचना संख्या–क0 नि0–6–407 / 11–एम(92) / 2009 उ0प्र0आमोद एवं पणकर अधिनियम–28–79–आदेश–(04)–2011, दिनॉक 31–3–11 के अनुसार **आमोद कर की दरों विषयक अधिसूचना दिनॉक 04–09–09 में** संशोधन किया गया है। अतः निर्गत अधिसूचना संख्या–क0 नि0–6– 407 / 11–एम(92) / 2009 उ0प्र0आमोद एवं पणकर अधिनियम–28–79–आदेश–(04)–2011, दिनॉक 31–3–11 को **दिनॉक 31 मार्च, 2011 के असाधारण गजट (विधायी परिशिष्ट–4 खण्ड–ख)** में प्रकाशित करने का कष्ट करें तथा **हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा के संलग्न अधिसूचनाओं** की प्रतियों की मुद्रित 250 प्रतियॉ **कर एवं निबन्धन अनुभाग–6, बापू भवन, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ** तथा 250 प्रतियॉ **आयुक्त, मनोरंजन कर, उ0प्र0 8वॉ तल जवाहर भवन, लखनऊ** को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(अमर सेन सिंह)
अनु सचिव,

संख्या– (1) / 11–6–2010, तद्दिनॉक

प्रतिलिपि आयुक्त, मनोरंजन कर, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि निर्गत अधिसूचना के प्राविधानों का अपने स्तर से प्रचार–प्रसार कर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

आज्ञा से,

(अमर सेन सिंह)
अनु सचिव,

संख्या– 411 / 11–6–2010–एम(92) / 2009

प्रेषक,

अमर सेन सिंह,
अनु सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

निदेशक / संयुक्त निदेशक,
राजकीय मुद्रणालय,
ऐशबाग, लखनऊ।

कर एवं निबन्धन अनुभाग–6 लखनऊ : दिनांक: 31 मार्च, 2011

विषयः आमोद के वर्ग वीडियो गेम पर आमोद कर की दर में संशोधन के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अधिसूचना संख्या–क0 नि0–6–407 / 11–एम(92) / 2009 उ0प्र0आमोद एवं पणकर अधिनियम–28–79–आदेश–(04)–2011, दिनॉक 31–3–11 के अनुसार **आमोद कर की दरों विषयक अधिसूचना दिनॉक 04–09–09 में** संशोधन किया गया है। अतः निर्गत अधिसूचना संख्या–क0 नि0–6– 407 / 11–एम(92) / 2009 उ0प्र0आमोद एवं पणकर अधिनियम–28–79–आदेश–(04)–2011, दिनॉक 31–3–11 को **दिनॉक 31 मार्च, 2011 के असाधारण गजट (विधायी परिशिष्ट–4 खण्ड–ख)** में प्रकाशित करने का कष्ट करें तथा **हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा के संलग्न अधिसूचनाओं** की प्रतियों की मुद्रित 250 प्रतियॉ **कर एवं निबन्धन अनुभाग–6, बापू भवन, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ** तथा 250 प्रतियॉ **आयुक्त, मनोरंजन कर, उ0प्र0 8वॉ तल जवाहर भवन, लखनऊ** को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(अमर सेन सिंह)
अनु सचिव,

संख्या– (1) / 11–6–2010, तद्दिनॉक

प्रतिलिपि आयुक्त, मनोरंजन कर, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि निर्गत अधिसूचना के प्राविधानों का अपने स्तर से प्रचार–प्रसार कर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

आज्ञा से,

(अमर सेन सिंह)
अनु सचिव,

UTTAR PRADES SHASAN
SANSTHAGAT VITTA,KAR EVAM NIBANDHAN ANUBHAG-6

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of following English translation of notification no.-KA.NI.-6-407 /XI-M(92)/2009-The U.P.Entertainmaints And Betting Act-28-1979-2011-Order-(04)-2011 dated March 31, 2011:

NOTIFICATION

No.-KA.NI.- 407/-6-XI-M(92)/2009-U.P.Entertainmaints And Betting Act -28-1979-2011-Order-(04)-2011

Lucknow :: Dated :: March 31, 2011

In exercise of the powers under sub-section (1) of section 3, sub-section(1) of section 4, sub-section (1) of section 4-A and sub-section(1) of section 4-B of the Uttar Pradesh Entertainments and Betting Tax Act, 1979 (U.P. Act no. 28 of 1979) read with section 21 of the Utter Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904), the Governor is pleased to make with effect from **April 01, 2011,** the following amendment in Government notification no.1672/ XI-Ka.Ni. -6-2009- M-(92)-2009 dated September 04, 2009:-

Amendment

In the aforesaid notification, in the Schedule,

(a) in the entry at serial number 5 for the words "games of skill, video games" the words "games of skill" shall be substituted;

(b) after entry at serial number 5, the following entrys shall columnwise be inserted, namely :-

Serial No.	*Classes of Entertainments*	*Rates of Entertainment Tax*
5(a)	**video games**	(i) no entertainment tax shall be paid upto each aggregate payment of rupees five; (ii) 25 percent out of each aggregate payment for more than rupees five.

By order,

(Durga Shanker Mishra)
Pramukh Sachiv.

उत्तर प्रदेश सरकार

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–6

संख्या: क0नि0–6–407/ग्यारह–एम(92)/2009–उत्तर प्रदेश आमोद एवं पणकर अधिनियम–28–79–आदेश (04) –2011

दिनांक: 31 मार्च, 2011

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश आमोद एवं पणकर अधिनियम, 1979 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28 सन् 1979) की धारा 3 की उपधारा (1), धारा 4 की उपधारा (1), धारा 4–क की उपधारा (1) और धारा 4–ख की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल **दिनांक 01 अप्रैल, 2011** से सरकारी अधिसूचना संख्या:–1672/11 –क0नि0–6–2009/एम0(92)–2009, दिनांक 04 सितम्बर, 2009 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :–

संशोधन

उपर्युक्त अधिसूचना में, अनुसूची में,–

(क) कमांक–5 पर प्रविष्टि में शब्द ''कौशल के खेल, वीडियो गेम'' के स्थान पर शब्द ''कौशल के खेल'' रख दिये जायेगें ;

(ख) कमांक–5 पर प्रविष्टि के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि स्तम्भवार बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात् :–

कम संख्या	आमोद के वर्ग	आमोद कर की दरें
5(क)	वीडियो गेम	(एक) पाँच रूपये के प्रत्येक समग्र भुगतान तक कोई आमोद कर संदत्त नहीं होगा ; (दो) पाँच रूपये से अधिक के प्रत्येक समग्र भुगतान में से 25 प्रतिशत।

आज्ञा से,

(दुर्गा शंकर मिश्र)

प्रमुख सचिव।